

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न० राजस्व वाद 811/2018

प्रार्थीगण :- भैरूसिंह पुत्र श्री मगनलाल जाति पुरोहित निवासी तिरसिंगडी सोढा तहसील पंचपदरा
जिला वाडमेर हाल निवासी भाभर जिला वनासकांठा गुजरात।

बनाम

विप्रार्थीगण :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री ओमसिंह राजपुरोहित प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :- 13.9.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी सरहद मौजा तिरसिंगडी सोढा, के खेत खसरा न० 90 रकबा 5 बीघा 12 विस्वा, ख०न० 398 रकबा 57 बीघा 11 विस्वा कुल रकबा 63 बीघा 3 विस्वा में स्थित है जिसमें प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी व कब्जा कस्त की भूमि स्थित है एवं खसरा न० 269 रकबा 27 बीघा 2 विस्वा, ख०न० 104 रकबा 54 बीघा 2 विस्वा सरहद मौजा तिरसिंगडी सोढा में स्थित है जिस पर प्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा कस्त है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता मगनलाल की मृत्यु होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 2,3,4 दिनांक 15.11.1959 में भरा गया जिसमें उनके पुत्र उतराधिकारी के होने से प्रार्थी का भैरूसिंह पुत्र मगनलाल कौम पुरोहित से भरा गया था। जबकि राजस्व रिकॉर्ड खसरा न० 90 व 398, खसरा न० 104 रकबा 54.02 की जमाबंदी प्रार्थी का नाम भैरूलाल पुत्र मगनलाल कौम पुरोहित भूल से दर्ज किया गया जबकि म्यूटेशन के अनुसार भैरूसिंह पुत्र मगनलाल पुरोहित है। खसरा न० 269 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह पुत्र मानसिंह भूल दर्ज कर दिया है। जबकि सही नाम भैरूसिंह पुत्र मगनलाल है। अतः उक्त अराजी खसरा में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में माफिक म्यूटेशन के अनुसार भैरूसिंह पुत्र मगनलाल पुरोहित राजस्व रिकॉर्ड में माफिक म्यूटेशन दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी का भारत सरकार द्वारा जारी निर्वाचन आयोग द्वार पहचान पत्र व आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजता में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह पुत्र मगनलाल पुरोहित दर्ज किया हुआ है।

प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी तथा प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज, प्रमाण पत्र, पहचान पत्रों व राजस्व रिकॉर्ड का भली-भांति अवलोकन कर मनन किया गया। तथा नामान्तरण संख्या 2,3, व 4 दिनांक 15.11.1959 का अवलोकन किया गया।


उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी के ग्राम तिरसिंगडी सोढा की जामबंदी सम्वत 2070-2073 खसरा न० 90, 398 ख०न० 104, में प्रार्थी का नाम भैरूलाल पुत्र मगनलाल दर्ज व ख०न० 269 में प्रार्थी के पिता का नाम मानसिंह दर्ज है जबकि सही नाम मगनलाल है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अतः नामान्तरकरण संख्या 2, 3 व 4 के अनुसार खसरा न0 वर्तमान खातेदारी भूमि में प्रार्थी भैरूसिंह पुत्र मगनलाल पुरोहित सा. तरसीगडी सोढा राजस्व रेकर्ड में सही अमल दरामद करने के आदेश दिय जाते है तहसीलदार पचपदरा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का सही नाम भैरूसिंह पुत्र मगनलाल पुरोहित दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली बाद तामिल तकमील फैसल समान होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रोहित कुमार)
सहायक कलक्टर,
जिलाधिकारी (पंचायत आ.) बलितिरा
(S.D.O.) बलितिरा,